Volume: 1 Issue: 12 Pages: 21-23

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 10/July/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(12):21-23 Accepted: 06/August/2022

एक राष्ट्र एक चुनाव-वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना

*1Dr. PM Sharmila

*1Associate Professor, Government First Grade College, Vijaynagar, Bangalore, Karnataka, India.

सारांश

चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश की मुख्य पहचान होती है, यह लोकतंत्र को जीवंत रूप प्रदान करती है तथा देश की उन्नति में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। हमारा भारत देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें लगभग हर वर्ष चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अलग-अलग राज्यों के चुनाव अलग–अलग समय पर होते रहते हैं। पिछले वर्ष 26 नवम्बर (संविधान दिवस) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उसका समापन किया।'एक राष्ट्र-एक चुनाव'-यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके। भारत में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा के लिये भी चुनाव हुए थे। इसलिये इस विचार (एक राष्ट्र-एक चुनाव) की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिये। यहाँ तक कि भारत एक साथ स्थानीय निकायों के लिये भी चुनाव कराने के बारे में सोच सकता है।

मूलशब्द: चुनाव, एक राष्ट्र, बार, किया, देश

प्रस्तावना

एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा उपाय है जो भारत देश को वर्ष भर चुनाव मोड पर रहने से बचा सकता है। यह भारतीय चुनाव प्रक्रिया को एक नई संरचना प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराये जाने की संकल्पना है। जैसा कि देश के आजाद होने के बाद कुछ वर्षों तक होता रहा था।

एक देश एक चुनाव का आशय केंद्र सरकार (लोकसभा) एवं राज्य सरकारों (विधानसभाओं) के चुनाव को एक साथ कराने से है। इसमें अन्य चुनावों (जिला पंचायत, ग्राम प्रधान का चुनाव आदि) को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों में बहुत लम्बे समय से बहस चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन किया है तथा यह मामला उनके चुनावी एजेंडे में भी था।

चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश की मुख्य पहचान होती है, यह लोकतंत्र को जीवंत रूप प्रदान करती है तथा देश की उन्नति में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। हमारा भारत देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें लगभग हर वर्ष चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अलग-अलग राज्यों के चुनाव अलग–अलग समय पर होते रहते हैं। पिछले वर्ष 26 नवम्बर (संविधान दिवस) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उसका समापन किया।

अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को प्रतिवर्ष होने वाले चुनाव से छुटकारा दिलाने के लिए एक राष्ट्रएक चुनाव तथा एकल मतदाता सूची लागू करने की बात कहीं तथा साथ ही साथ उन्होंने कानूनी किताबों के जटिल भाषा को सरल बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों को सूचित भी किया।

पृष्ठभूमि

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को पूरा देश गणतंत्र में बंध कर विकास की ओर अग्रसर हुआ। इस दिशा में गणतंत्र भारत का पहला चुनाव (लोकसभा तथा विधानसभा का) 1951-1952 में एक साथ हुआ। तत्पश्चात 1957, 1962 तथा 1967 के चुनाव में भी दोनों का चुनाव साथ ही में संपन्न हुआ। 1967 के चुनाव में सत्ता में आयी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार 1968 तथा 1969 में गिर गई जिसके फलस्वरूप उन राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गई और 1971 में समय से पहले ही चुनाव कराने पड़े, तब यह क्रम टूट गया। आगे भी राज्यों में यह स्थिति बनती गई विधानसभाएं भंग होती गई और यह सिलसिला बिगड़ता गया।

एक देश एक चुनाव क्या है

एक देश एक चुनाव का मतलब यह है, कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव पूरे देश में एक साथ और एक ही समय पर कराये जाये, कहनें का आशय यह है कि लोग एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए मतदान करेंगे |

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर काफी समय से बहस जारी है | प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका समर्थन करते हुए इस मामले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग बातचीत कर चुके हैं, परन्तु देश के सभी राजनीतिक दल इससे सहमत नहीं है |

सरकार का मानना है, कि देश में हर समय चुनावी माहौल बना रहता है, एक चुनाव के समाप्त होनें पर दूसरा शुरू हो जाता है। देश के किसी न किसी हिस्से में कुछ महीनों के बाद चुनाव होते रहते हैं | पिछले लगभग तीन दशकों में कोई साल ऐसा नहीं गया, जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव न करवाया हो|

*Corresponding Author: Dr. PM Sharmila

देश में अलग-अलग चुनाव करानें से देश पर आर्थिक रूप से बोझ पड़ता है, इसके साथ ही चुनाव के लिए संसाधन, सिक्युरिटी फोर्स, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल मशीनरी को कई दिनों के लिए इधर-उधर भेजना पड़ता है| यदि यह सभी चुनाव एकसाथ करा लिए जाते हैं तो देश एक बड़े बोझ से मुक्त हो जाएगा |

एक देश एक चुनाव की जरूरत

देश में होने वाले चुनावों का अगर हम गहराई से आंकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है। इसके कारण प्रशासनिक नीतियों के साथ–साथ देश के खजाने पर भी प्रभाव पड़ता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है जिसमे अनुमानतन लगभग 60 हज़ार करोड़ रूपये खर्च हुए तथा देश में लगभग 3 महीने तक चुनावी माहौल बना रहा। ऐसी ही स्थिति लगभग वर्ष भर देश के अलग–अलग राज्यों में बनी रहती है। ऐसे में 'एक देश एक चुनाव' का विचार इन परिस्थितियों से छुटकारा दिला सकता है।

एक देश एक चुनाव के फायदे

एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं-

1. एक देश एक चुनाव से मतदान में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।
2. शेष राशि को देश के विकास में लगाया जा सकता है।
3. राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नज़र रखने में आसानी होगी।
4. जब चुनाव की प्रक्रिया 5 वर्ष में एक बार होगी तो भारतीय निर्वाचन आयोग, अर्द्धसैनिक बलों तथा नागरिकों को तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा, जिसके कारण चुनाव में अधिक पारदर्शिता होगी।
5. प्रशासन तथा सुरक्षा बलों के अतिरिक्त भार को भी कम किया जा सकता है।
6. इससे सरकारी नीतियों को समय पर लागू तथा कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। इत्यादि.

एक देश एक चुनाव के नुकसान

पूरे देश के लिए एक चुनाव प्रक्रिया के लाभ तो है ही लेकिन साथ–साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. यदि देश में चुनाव वन टाइम मोड हो जाएगा तो, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगी, राष्ट्रीय पार्टियों के आगे इनकी छवि धुंधली पड़ जाएगी।
2. एक साथ चुनाव होने के कारण, इसके परिणाम घोषित होने में काफी देर हो सकती है क्योंकि आजकल सारी पार्टियां EVM का विरोध कर रही है तथा बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रही है।
3. इसमे कुछ संवैधानिक समस्याएं भी है। जैसे यदि कई दल गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाते हैं तो वह सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है तब ऐसी स्थिति में पूरे देश में फिर से चुनाव कराना पड़ सकता है।
4. पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में अत्यधिक मशीनरी एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, इत्यादि.

एक देश एक चुनाव की जरूरत

भले ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा आज बहस का केंद्र बना हुआ है लेकिन यह कोई नई नीति नहीं है। आजादी के बाद होने वाले कुछ चुनावों (1952, 1957, 1962 व 1967) में ऐसा हो चुका है। उस समय में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराए गए थे। यह क्रम 1968-69 में टूट गया जब विभिन्न कारणों से कुछ राज्यों के विधानसभाओं को वक़्त से पूर्व ही भंग कर दिया गया तथा साल 1971 में समय से पहले ही लोक सभा का चुनाव भी करा दिया गया था। इन सब बातों के मद्देनज़र प्रश्न यह उठता है कि जब पहले भी ऐसा हो चुका है तो अब क्यों नहीं हो सकता है

लग राज्यों में बनी रहती है। ऐसे में 'एक देश एक चुनाव' का विचार इन परिस्थितियों से छुटकारा दिला सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी दोनों चुनावों को एक साथ कराने की नाकाम कोशिशें होती रही है-

- 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस विचार को प्रस्तुत किया था।
- उसके बाद साल 1999 में यही बात विधि आयोग ने भी यही बात अपनी रिपोर्ट में कही थी।
- 2003 में अटल बिहार वाजपेयी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) ने सोनिया गांधी (कांग्रेस अध्यक्ष) से इस मुद्दे पर बातचीत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
- उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने वर्ष 2010 में इंटरनेट के माध्यम से यह बात साझा की, कि उन्होंने मनमोहन सिंह (तत्कालीन पीएम) और प्रणब मुखर्जी (तत्कालीनवित्त मंत्री) से दोनों चुनावों को साथ कराने तथा कार्यकाल को स्थिर करने की बात की थी।
- साल 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस विचार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है तब से इस पर लगातार बहस होती रही है।
- सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने जब 2016 में एक देश एक चुनाव पर जोर दिया तो नीति आयोग ने बड़ी तत्परता से इस पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली।
- उसके बाद वर्ष 2018 में विधि आयोग ने कहां की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे।
- अभी तक इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए कोई भी संवैधानिक या कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, सिर्फ बहस और बयान बाजी जारी है।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता के लिए विभिन्न तर्क दिए गए हैं।

हर साल देश में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसका मतलब है कि भारत हमेशा चुनावी मोड में रहता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारियों, चुनाव ड्यूटी पर शिक्षकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों जैसे सभी प्रमुख हितधारकों को प्रभावित करता है।

चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता है-

संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने से उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकार की सामान्य सरकारी गतिविधियों और कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाता है। इससे नीतिगत पक्षाघात और सरकारी घाटा होता है।

बार-बार होने वाले चुनावों से केंद्र और राज्य सरकारों को भारी खर्च करना पड़ता है। इससे जनता के पैसे की बर्बादी होती है और विकास कार्य बाधित होता है।

चुनाव की स्थिति में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात करना पड़ता है। 16वीं लोकसभा चुनाव में, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चलाने के लिए 10 मिलियन सरकारी अधिकारियों की सहायता ली।

लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने से जनता का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। बार-बार होने वाले चुनाव प्रचार के कारण भी ऐसा होता है।

बार-बार चुनाव होने के कारण जाति, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा सबसे आगे रहते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि इस तरह के मुद्दे निरंतर राजनीति से कायम हैं।

बार-बार होने वाले चुनाव भी शासन के फोकस को दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों से अल्पकालिक नीति लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं।

इस ध्वनि के कारण आर्थिक नियोजन पीछे हट जाता है और सरकार कई बार अत्यधिक व्यय में लिप्त हो जाती है।

एक भाजपा नेता श्री नकवी के अनुसार बार-बार होने वाले चुनाव भारतीय जनता को लोकतंत्र के पर्व के प्रति उदासीन बना देते हैं।

एक देश एक चुनाव के समर्थन के बिंदु

'एक देश एक चुनाव' के माध्यम से देश के खजाने की बचत तथा राजनीतिक पार्टियों के खर्चों नजर एवं नियंत्रण रख सकते हैं। देश में पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। उस समय 53 दलों के 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था और उस समय कुल लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जबकि हालही में हुए 17वें लोकसभा के चुनाव पर नजर डालें तब हम पाते हैं कि इसमें 610 राजनीतिक दलों के लगभग 9000 प्रत्याशी थे, जिसमें कुल लगभग 60 हज़ार करोड़ रूपया (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुमान के अनुसार) खर्च हुआ। जो साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में खर्च रूपयों (लगभग 30 हज़ार करोड़) का लगभग दो गुना है। 'एक देश-एक चुनाव' से होने वाले अन्य फायदे निम्नलिखित है-

1. इससे सार्वजनिक धन की बचत होती है।
2. जनता सरकार की नीतियों को अलग–अलग केंद्रीय तथा राजकीय स्तर पर परख सकेगी।
3. जनता के लिए यह समझना आसान होगा कि किस राजनीतिक पार्टी ने अपने किए वादों को पूरा किया है।
4. बार–बार चुनाव के चलते शासन प्रशासन में आने वाले व्यवधानों में कमी होगी।
5. सुरक्षा बलों तथा अन्य प्रशासनिक इकाईयों का बोझ हल्का हो जाएगा।
6. सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा। इत्यादि.

एक देश एक चुनाव के विरोध के बिंदु

एक देश एक चुनाव का विरोध करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर भारतीय संविधान चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 2 (संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है) तथा अनुच्छेद 3 (संसद कोई नया राज्य बना सकती है) पूर्ण रूप से इसके विपरीत दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

इसी तरह अनुच्छेद 85(2)(b) राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह लोकसभा को तथा अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह विधान सभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है।

- अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्धकी स्थिति में आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 356 कहता है कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- यह देश के संघीय ढांचे के भी विपरीत प्रतीत होता है तथा।
- इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी।
- वर्तमान चुनाव प्रणाली में नेता निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसे समय – समय पर अलग – अलग चुनावों के लिए जनता के सामने आना पड़ता है।
- आधारभूत संरचना के अभाव में दोनों चुनावों को एक साथ कराना भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तार्किक सिद्ध नहीं होता है।

चुनाव आयोग से संबंधित समिति

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ही सही मायने में लोकतांत्रिक राष्ट्र को वैधता प्रदान करता है, भारत इस बात को भली भांति जानता है। इसलिए इसने समय–समय पर समितियों का गठन करके चुनाव प्रणाली में व्याप्त कमियों को हमेशा दूर करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग से संबंधित कुछ मुख्य समितियां निम्नलिखित हैं-

1. के. संथानम समिति (1962-1964)
2. तारकुंडे समिति (1974-1975)
3. दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
4. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998).

एक देश एक चुनाव के समक्ष चुनौतियां

1. सैकड़ों राजनीतिक दलों को इस मत पर एकत्र करना तथा उन्हें विश्वास दिलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है।
2. यह भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए घातक सिद्ध होगा।
3. अत्यधिक जनसंख्या की दृष्टि से संसाधनों का सीमित होना।
4. अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 आदि का उल्लंघन। इत्यादि.

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचनाओं के माध्यम से हमने एक देश एक चुनाव से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। हमने जाना की कुछ विशेषज्ञ इसके पक्ष में तथा कुछ इसके विपक्ष में अपने–अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए की इस मुद्दे पर सभी चुनावी संस्थाओं, राजनीतिक दलों तथा विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस विषय पर विचार–विमर्श करें तथा राष्ट्र हित में समर्पित फैसले का चयन करें।

मैं आशा करता हूँ कि एक देश एक चुनाव पर प्रस्तुत यह निबंध आपको पसंद आया होगा तथा साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि ये आपके स्कूल आदि जगहों पर आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा।

हालांकि सिद्धांत रूप में, यह एक अच्छा सुधार है, इसके लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए नीति आयोग संवैधानिक विशेषज्ञों, चुनाव विशेषज्ञों, थिंक टैंकों, सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए हितधारकों के एक केंद्रित समूह के गठन का सुझाव देता है। इस समूह को एक साथ आने और उचित कार्यान्वयन विवरण तैयार करने की आवश्यकता होगी जिसमें संवैधानिक और वैधानिक संशोधनों का मसौदा तैयार करना शामिल होगा।

इस प्रकार विभिन्न चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी और ऐसे सुधारों के लिए व्यापक-आधारित संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इसलिए, इस विषय पर व्यापक चर्चा करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव तत्काल आगे बढ़ने का रास्ता है।

संदर्भ सूचि

1. एक देश-एक चुनाव-Anoop Baranwal 'Deshbandhu
2. CHUNAV 2019: KAHANI MODI 2.0 KI
3. Chunav Sudhar: Agrawal Manoj
4. भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास: lakha Ram Chaudhary.